[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–16 एच०एल०ए०

हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) निरसन विधेयक, 2025

हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948 को निरसित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) निरसन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1948 के पंजाब अधिनियम 13 का निरसन।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई है; व्यावृत्ति।

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो;

न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनर्जीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, भारत से पाकिस्तान में कुछ बन्दियों के अन्तरण तथा पाकिस्तान से कुछ बन्दियों को भारत में प्राप्ति के लिए बन्दियों के आदान--प्रदान हेतू पाकिस्तान के साथ करारनामें के अनुसरण में पूर्वी पंजाब (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) अधिनियमित किया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के लगभग दो वर्ष बाद तथा पूर्वी पंजाब (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) पारित करने के बाद अधिकांश बन्दी स्थानान्तरित हो गए थे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा हरियाणा राज्य के सृजन के कारण पूर्वी पंजाब (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948 हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। इस अधिनियम के शीर्षक में वर्णित 'पूर्वी पंजाब' को सरकार की अधिसूचना दिनांक 7 जुलाई, 2021 के अनुसार 'हरियाणा' किया गया है। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में बन्दियों के स्थानान्तरण के लिए प्रासंगिकता मुहैया कराने के प्रयोजन के लिए बंदी अन्तरण अधिनियम, 1950 (1950 का 29) अधिनियमित किया गया था तथा हरियाणा राज्य में हरियाणा कारागार नियम, 2022 भी बनाए गए है। अब, हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948 निरर्थक हो गया है।हरियाणा राज्य विधि आयोग ने अपनी सिफारिश दिनांक 25.01.2023 में सिफारिश की है कि इस अधिनियम यानि हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) को निरस्त किया जाए। इसलिए, हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) निरसन विधेयक, 2025, के द्वारा हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) निरसित करना इसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ अरविन्द कुमार शर्मा,
जेल मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 मार्च, 2025

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

11768—H.V.S.—H.G.P., Pkl.